

कार्यालय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर

क्रमांक :- एफ12(280)सर्वे/संभुवसं/2021-22/ 5866
निमित्त :-

दिनांक :- 19-7-2021

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफसीए, अरण्य भवन, राजस्थान,
जयपुर।

विषय:- **Diversion of 0.1685 hact. of forest land in favor of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh-Sri ganganagar NH-62 Between Chainage ms stone 209/390-209/430 (RHS) Village 7 BLW District Hanumangarh**

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :- FP/RJ/ROAD/40754/2019

संदर्भ:-भारत सरकार का पत्रांक 8बी/राज./06/16/2020/एफ.सी./746
दिनांक 17.07.2020 एवं उप वन संरक्ष, हनुमानगढ़ का पत्र क्रमांक एफ()सर्वे/उवसं/2021-22/3334 दिनांक 25.06.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में निवेदन है कि (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/40754/2019) द्वारा उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में वन भूमि 0.1685 हैक्टर हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है :-

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :- FP/RJ/ROAD/40754/2019

शर्त सं.	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	यूजर एजेन्सी द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 168 trees in forest land (Compartment/Survey No. 245/1, Range Nohar Village Sonari, Tehsil Nohar, District Hanumangarh) at the cost of the, user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण जिला हनुमानगढ़ की परिभाषित वनभूमि कम्पार्टमेंट नं. 245/1, ग्राम सोनडी तहसील- नोहर जिला हनुमानगढ़ पर कराया जायेगा। वृक्षारोपण करते समय स्थानीय प्रजातियों का प्रयोग किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.	यूजर एजेन्सी द्वारा निम्नानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। जिसका वन मण्डलवार विवरण नियमानुसार है:- उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़- राशि. रु. 137760/- एवं 7762/- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि व 10000/- पिल्लर निर्माण हेतु चालान नं. UTR NO. BARBH20252887544 and BARBW21025804083
4.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.1685 ha. forest	यूजर एजेन्सी द्वारा निम्नानुसार NPV की

	arca to be diverted under this proposal, from the User Agency as per the orders of the Hon'able Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। जिसका वन मण्डलवार विवरण नियमानुसार है:- उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़- राशि. रु. 73803 /- चालान नं. UTR NO. BARBH20252887544
5.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	सक्षम स्तर से एनपीवी की राशि में बढ़ोतरी होने पर यूजर एजेन्सी द्वारा बढी हुई राशि जमा करवा दी जावेगी। इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
6.	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	यूजर एजेन्सी द्वारा पेड़ों की कटाई के संबंध में 2900 /- रुपये डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करवा दिये गये हैं। डिमांड ड्राफ्ट की प्रति संलग्न है।
7.	User agency shall use the land between entry and exit of Petrol pump for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.	यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
8.	Greenery will be maintained by user agency around Periphery of petrol pump.	यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
9.	Fuel Station should generally be a part of rest area complex having amenities like parking etc. Suitable signs/markings without damaging existing trees.	यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
10.	Plantation shall also be done along the inside boundary of fuel station.	यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
11.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	उपरोक्तानुसार धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। जमा की गई राशि की रसीद संलग्न है।
12.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस बिन्दु की पालना में यूजर एजेन्सी द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित प्रपत्र में जारी वनाधिकार प्रमाण पत्र मूल संलग्न है।
13.	Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24.07.2013 has to be provided.	इस संबंध में उप वन संरक्षक हनुमानगढ़ प्रमाण पत्र संलग्न है।
14.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
15.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the	यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।

	MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	
16.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably 'demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
17.	No Violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़ का No Violation of FCA certificate संलग्न है।
18.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
19.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	प्रस्ताव की अनुपालना रिपोर्ट ऑनलाईन प्रस्तुत कर दी गयी है।

संलग्न :- उक्तानुसार

भवदीय,



(राजेश कुमार जैन)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
बीकानेर

क्रमांक :- समसंख्यक/

दिनांक :-

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(राजेश कुमार जैन)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
बीकानेर

कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़

15
YEARS OF
CELEBRATING
THE MAHATMA

क्रमांक : एफ()उवस/सर्वे/2021-22/3334

दिनांक : 25/06/2021

श्रीमान् सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक
बीकानेर

विषय:- Diversion of 0.1685 haet. of forest land in favor of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh-Sri ganganagar NH-62 Between Chainage ms stone 209/390-209/430 (RHS) Village 7 BLW District Hanumangarh

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ12(280)सर्वे/समुवस/2020-21/1948 दिनांक 03.03.2021

महोदय,

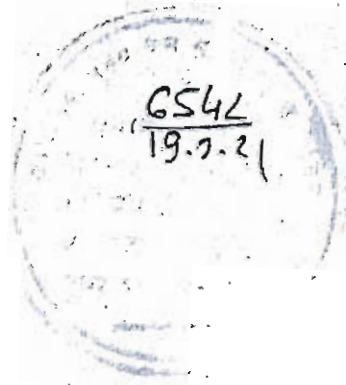
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र से लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

1. चारों पत्रावलियों में उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़ की नामजद मुहर लगाकर प्रतिहस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
2. सी.ए. स्कीम की राशि 225/- श्रमिक दर की बढ़ी राशि से जमा करवाई जा चुकी है।
3. वृक्षों के पातन की राशि प्रयोक्ता अभिकरण से जमा करवाई जा चुकी है।
4. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के संबंध में उप वन संरक्षक का तिथियुक्त मूल प्रमाण पत्र चार प्रतियों में संलग्न है।
5. MoRTH की गाईडलाईस के अनुसार प्रपत्र में तिथियुक्त मूल प्रमाण पत्र चार प्रतियों में संलग्न है।

संलग्न :- चार पत्रावली

भवदीय

सर्व
19/7/2021



25
(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़



प्र.वा.
श्रीवर्धन योजना

E:\Forest 2021-22\Serve (Amin) Sec\General Letter FCA.doc

कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़



क्रमांक : एफ()उवस/सर्वे/2020-21/566

दिनांक : 02/02/2021

श्रीमान् सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक
बीकानेर

विषय:- Diversion of 0.1685 ha. of forest land in favor of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh-Sri ganganagar NH-62 Between Chainage ms stone 209/390-209/430 (RHS) Village 7 BLW District Hanumangarh

संदर्भ:- भारत सरकार के पत्रांक 8बी/राज./06/16/2020/एफसी/746 दि 17.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट 4 प्रतियों में निम्नानुसार प्रेषित है:-

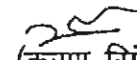
शर्त सं.	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	यूजर एजेंसी द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 168 trees in forest land (Compartment/Survey No. 245/1, Range Nohar Village Sonari, Tehsil Nohar, District Hanumangarh) at the cost of the, user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण जिला हनुमानगढ़ की परिभाषित वनभूमि कम्पार्टमेंट नं. 245/1, ग्राम सोनरी तहसील- नोहर जिला हनुमानगढ़ पर कराया जायेगा। वृक्षारोपण करते समय स्थानीय प्रजातियों का प्रयोग किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.	यूजर एजेंसी द्वारा निम्नानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। जिसका वन मण्डलवार विवरण नियमानुसार है:- उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़- राशि. रु. 137760/- एवं 7762/- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि व 10000/- पिल्लर निर्माण हेतु चालान नं. UTR NO. BARBH20252887544 and BARBW21025804083
4.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.1685 ha. forest area to be diverted under this proposal, from the User Agency as per the orders of the Hon'able Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the	यूजर एजेंसी द्वारा निम्नानुसार NPV की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। जिसका वन मण्डलवार विवरण नियमानुसार है:- उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़- राशि. रु. 73803/- चालान नं. UTR NO. BARBH20252887544

	Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pl.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	
5.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
6.	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
7.	User agency shall use the land between entry and exit of Petrol pump for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
8.	Greenery will be maintained by user agency around Periphery of petrol pump.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
9.	Fuel Station should generally be a part of rest area complex having amenities like parking etc. Suitable signs/markings without damaging existing trees.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
10.	Plantation shall also be done along the inside boundary of Bio-Diesel Plant.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
11.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	उपरोक्तानुसार धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। जमा की गई राशि की रसीद संलग्न है।
12.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस बिन्दु की पालना में यूजर एजेंसी द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित प्रपत्र में जारी वनाधिकार प्रमाण पत्र मूल संलग्न है।
13.	Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24.07.2013 has to be provided.	प्रमाण पत्र संलग्न है।
14.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
15.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
16.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably 'demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।

17.	No Violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided	No Violation of FCA certificate संलग्न है।
18.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा इस सम्वन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
19.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	प्रस्ताव की अनुपालना रिपोर्ट ऑनलाईन प्रस्तुत कर दी गयी है।

संलग्न :- उक्तानुसार

भवदीय


(करण सिंह)

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

क्रमांक/सम/

दिनांक

प्रतिलिपि Mrs.Sumian Devi House No 8, Gali No. 1, Vikas Nagar, Sri Ganganagar (Raj.) को सूचनार्थ प्रेषित है।


उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़


2/3/21

15/3
02/3/21

कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़



क्रमांक : एफ()उवस/सर्वे/2020-21/

दिनांक :

शर्त संख्या 13

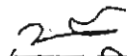
Full title of the Project: Diversion of 0.1685 hact. of forest land in favor of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh-Sri ganganagar NH-62 Between Chainage ms stone 209/390-209/430 (RHS) Village 7 BLW District Hanumangarh.

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: 21.06.2019

प्रमाण-पत्र

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 13 की पूर्ति में यह प्रमाणित किया जाता है कि नयारा एनर्जी लिमिटेड द्वारा एन.एच.-62 (पुराना एन.एच.-15) के चेनेज नं. 209/390-309/430 दाहिने हाथ की ओर ग्राम - 7BLW किला नं. 21-23, तहसील-पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ राज0 में स्थापित किये जाने वाले रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) पर सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु क्षेत्रफल 0.1685 हैक्टर प्रत्यावर्तन में प्रस्तावित आरओ किसी भी मौजूदा आरओ की निकटता के अनुरूप नहीं है।


(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़



क्रमांक : एफ()उवस/सर्वे/2020-21/

दिनांक :

शर्त संख्या 17

Full title of the Project: **Diversion of 0.1685 haet. of forest land in favor of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh-Sri ganganagar NH-62 Between Chainage ms stone 209/390-209/430 (RHS) Village 7 BLW District Hanumangarh.**

File No: **FP/RJ/ROAD/40754/2019**

Date of Proposal: **21.06.2019**

प्रमाण-पत्र

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 17 की पूर्ति में यह प्रमाणित किया जाता है कि नयारा एनर्जी लिमिटेड द्वारा एन.एच.-62 (पुराना एन.एच.-15) के चेनेज नं. 209/390-309/430 दाहिने हाथ की ओर ग्राम - 7BLW किला नं. 21-23, तहसील-पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ राज0 में स्थापित किये जाने वाले रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) पर सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु क्षेत्रफल 0.1685 हैक्टर प्रत्यावर्तन में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कोई उल्लघन नहीं हुआ है।

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक,
हनुमानगढ़



NAYARA
ENERGY

विषय:- Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh. Proposal No. FP/RJ/ROAD/40754/2019

संदर्भ:- भारत सरकार के पत्रांक डी/राज./06/16/2020/एफसी/746 दि 16.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार दी गयी है:-

शर्त सं.	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	यूजर एजेंसी द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 163 trees in forest land (Compartment No. 245/1. Village- Sonari, Tehsil- Nohar, District- Hanumangarh) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण जिला हनुमानगढ़ की परिभाषित वनभूमि कम्पार्टमेंट नं. 245/1, ग्राम सोनारी तहसील- नोहर जिला हनुमानगढ़ पर कराया जायेगा। वृक्षारोपण करते समय स्थानीय प्रजातियों का प्रयोग किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	यूजर एजेंसी द्वारा निम्नानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की प्रगति कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। जिसका वन मण्डलवार विवरण नियमानुसार है:- उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़- राशि. रु. 2,21,563/- चालान नं. UTR NO. BARBH20252887544
4.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.1685ha. forest area to be diverted under this proposal, from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	यूजर एजेंसी द्वारा निम्नानुसार NPV की घनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। जिसका वन मण्डलवार विवरण नियमानुसार है:- उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़- राशि. रु. 2,21,563/- चालान नं. UTR NO. BARBH20252887544
5.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है। (करण सिंह) उप वन संरक्षक हनुमानगढ़
6.	User Agency shall restrict the felling of trees to a minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है। (करण सिंह) उप वन संरक्षक हनुमानगढ़

Nayara Energy Limited
105, Hanumangarh Tower, Residency Road,
Nr. Polytechnic College, Jodhpur, Rajasthan 342011
T + 91 291 2683333
E mail: info@nayaracorp.com

Registered Office
Khamhaliya, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361305, India
P + 91 2855331441 | F + 91 2833462929
CIN: U11100GJ1989PLC032116
www.nayaracorp.com

For Nayara Energy Limited

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़



NAYARA
ENERGY

	felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	
7.	User Agency shall use the land between entry and exit of petrol pump for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
8.	Greenery will be maintained by user agency around Periphery of petrol pump.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
9.	Fuel Station should generally be a part of rest area complex having amenities like parking etc. Suitable signs/markings without damaging existing trees.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
10.	Plantation shall also be done along the inside boundary of fuel Station.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
11.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	उपरोक्तानुसार धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। जमा की गई राशि की रसीद संलग्न है।
12.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस बिन्दु की पालना में यूजर एजेंसी द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित प्रपत्र में जारी वनाधिकार प्रमाण पत्र मूल संलग्न है।
13.	Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 23-07-2013 has to be provided.	इस बिन्दु की पालना में यूजर एजेंसी द्वारा उप वन संरक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही संलग्न कर दिया जायेगा।
14.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of less to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
15.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
16.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
17.	No Violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided	इस बिन्दु की पालना में यूजर एजेंसी द्वारा उप वन संरक्षक द्वारा जारी No Violation of FCA certificate प्राप्त होते ही संलग्न कर दिया जायेगा।
18.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	यूजर एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। जो संलग्न है।
19.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	प्रस्ताव की अनुपालना रिपोर्ट ऑनलाईन प्रस्तुत कर दी गयी है।

Authorised Signatory

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

For Nayara Energy Limited

Nayara Energy Limited
105, Hukamraj Tower, Residency Road,
Nr. Polytechnic College, Adilpuri, Rajeshwar 342011
T : +91 2833 661444 / F : +91 2833 662929
E : marketing@nayaraenergy.com

Registered Office:
Khamibhalla, Post Box No. 24, Dist. Devlghum Dwarla, Gujarat 361305, India
T : +91 2833 661444 / F : +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116
www.nayaraenergy.com

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Full title of the Project: **Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW Distriet- Hanumangarh.**

File No: **FP/RJ/ROAD/40754/2019**

Date of Proposal: **21-06-2019**

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेंसी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा **Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 -209/430(RHS)** के दौरान शर्त संख्या 01 की पालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

Place: **Jodhpur**

Date: **10.09.2020**

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Authorised Signatory

C. S.

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Nayara Energy Limited

105, Hukumraj Tower, Residency Road,
Nr. Polytechnic Collage, Jodhpur Rajasthan 342011

T + 91 291 2655551

E marketing@nayaraenergy.com

Registered Office:

Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361305, India

T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116

www.nayaraenergy.com

Full title of the Project: Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: 21-06-2019

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा **Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 -209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh** के दौरान शर्त संख्या 02 की पालना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण जिला हनुमानगढ़ की परिभाषित वनभूमि कम्पार्टमेंट नं. 245/1, ग्राम सोनारी तहसील- नोहर जिला हनुमानगढ़ पर कराया जायेगा। वृक्षारोपण करते समय स्थानीय प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जायेगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited

Authorized Signatory

(करन सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Registered Office:

Khambhania, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India
T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116

www.nayaraenergy.com

Nayara Energy Limited

105, Hukumraj Tower, Residency Road,
Nr. Polytechnic Collage, Jodhpur Rajasthan 342011

T + 91 291 2655551

E marketing@nayaraenergy.com

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Full title of the Project: Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: 21-06-2019

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 03 की पालना में CA Land के Survey, Demarcation एवं स्थायी पिल्लरों के निर्माण Sparator Is land इत्यादि का निर्माण वन विभाग की निगरानी में यूजर एजेन्सी के व्यय पर किया जायेगा एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का 10 वर्षों तक मैटेनेन्स किया जायेगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited

Authorised Signatory

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Nayara Energy Limited

105, Hukumraj Tower, Residency Road,
Nr. Polytechnic Collage, Jodhpur Rajasthan 342011

T + 91 291 2655551

E marketing@nayaraenergy.com

Registered Office:

Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India
T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116

www.nayaraenergy.com

Full title of the Project: Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: 21-06-2019

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF NET PRESENT VALUE OF FOREST AREA

It is to certify that I/We **NAYARA ENERGY LIMITED** have applied for diversion of 0.1685 hectare of forest area for the purpose of **Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 -209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.** I/We, hereby, undertake to pay the net present value (NPV) of the above forest land. I/we also hereby undertake to pay the additional amount of NPV, if so determined as per the decision of the Hon'ble Supreme Court.

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited

Authorised Signatory

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Nayara Energy Limited

105, Hukunraj Tower, Residency Road,
Nr. Polytechnic College, Jodhpur Rajasthan 342011

T + 91 2912655551

E marketing@nayaraenergy.com

Registered Office:

Khamdhalia, Post Box No. 24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India
T +91 2833 661444 | F +91 2833 662229

CIN: U11100GJ1989PLC032116

www.nayaraenergy.com

Full title of the Project: Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.

File No: **FP/RJ/ROAD/40754/2019**

Date of Proposal: **21-06-2019**

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेंसी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 05 की पालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. का धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि जमा की जाएगी। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: **Jodhpur**

Date: **10.09.2020**

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited

Authorised Signatory

CS
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Nayara Energy Limited

105, Hukamraj Tower, Residency Road,
Nr. Polytechnic College, Jodhpur Rajasthan 342011

T +91 291 2655551

E marketing@nayaraenergy.com

Registered Office:

Khamohalla, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India
T +91 2933 561444 | F +91 2933 562929

CIN: U1100GJ1989PLC032116

www.nayaraenergy.com

Full title of the Project: **Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.**

File No: **FP/RJ/ROAD/40754/2019**

Date of Proposal: **21-06-2019**

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 06 की पालना में यूजर एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों की कटाई वन विभाग गहरी निगरानी में ही काटे जायें एवं पेड़ों की कटाई की लागत यूजर एजेन्सी द्वारा राज्य के वन विभाग में जमा करा दी जायेगी। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: **Jodhpur**

Date: **10.09.2020**

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited

Authorised Signatory

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Nayara Energy Limited

105, Hukumraj Tower, Residency Road,
Nr. Polytechnic Collage, Jodhpur Rajasthan 342011

T + 91 291 2655551

E marketing@nayaraenergy.com

Registered Office:

Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India

T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116

www.nayaraenergy.com

Full title of the Project: Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: 21-06-2019

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 07 की पालना में यूजर एजेन्सी द्वारा वृक्षारोपण और वृक्षों के संरक्षण के लिए पेट्रोल पंप के प्रवेश और निकास के बीच की भूमि का उपयोग करेगी, उसी को 2 फीट की दीवार द्वारा सीमांकित किया जाएगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited

Authorised Signatory

C.S.
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Nayara Energy Limited

105, Hukumraj Tower, Residency Road,
Nr. Polytechnic Collage, Jodhpur Rajasthan 342011

T +91 291 2655551

E marketing@nayaraenergy.com

Registered Office:

Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India
T +91 2833 661444 | F +91 2833 662020

CIN: U11100GJ1989PLC032116

www.nayaraenergy.com

Full title of the Project: Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW Distriet- Hanumangarh.

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: 21-06-2019

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 08 की पालना में यूजर एजेन्सी द्वारा पेट्रोल पंप के परिधि के आसपास उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा हरियाली को बनाए रखा जाएगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited

Authorised Signatory

C-81

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Nayara Energy Limited

105, Hukunraj Tower, Residency Road,
Nr. Polytechnic Collage, Jodhpur Rajasthan 342011

T + 91 291 2655551

E marketing@nayaraenergy.com

Registered Office:

Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India

T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116

www.nayaraenergy.com

Full title of the Project: **Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.**

File No: **FP/RJ/ROAD/40754/2019**

Date of Proposal: **21-06-2019**

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 09 की पालना में यूजर एजेन्सी द्वारा पेट्रोल पंप पर पार्किंग आदि जैसी सुविधाएं एवं सानेज उपलब्ध करवायेगी बिना मौजूदा पेड़ों को कोई नुकसान पहुंचाये। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: **Jodhpur**

Date: **10.09.2020**

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited



Authorized Signatory

C.S.

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Nayara Energy Limited

105, Hakumraj Tower, Residency Road,
Nir. Polytechnic College, Jodhpur Rajasthan 342011

T +91 291 2655551

E marketing@nayaraenergy.com

Registered Office:

Khambhatia, Post Box No. 24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India
T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116

www.nayaraenergy.com

Full title of the Project: Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: 21-06-2019

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेंसी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 10 की पालना में यूजर एजेंसी द्वारा पेट्रोल पंप की बाउण्ड्री के साथ वृक्षारोपण किया जायेगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

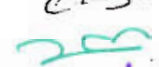
Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited

Authorized Signatory

e.s.

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़


(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Nayara Energy Limited

105, Hukumraj Tower, Residency Road,
Nr. Polytechnic Collage, Jodhpur Rajasthan 342011

T +91 291 2655551

E marketing@nayaraenergy.com

Registered Office:

Khambhalia, Post Box No 24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India

T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116

www.nayaraenergy.com

Full title of the Project: Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: 21-06-2019

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 14 की पालना में यूजर एजेन्सी इस हेतु सहमति प्रदान करती है कि इस अनुमोदन के तहत डायवर्सन की अवधि उपयोगकर्ता एजेन्सी या परियोजना के जीवन के पक्ष में, जो भी कम हो, पट्टे की अवधि के साथ कोटरमिनस होगी। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited

Authorised Signatory

c.s.

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Nayara Energy Limited

105, Hukumraj Tower, Residency Road,
Nz. Polytechnic Collage, Jodhpur Rajasthan 342011

T : 91 291 2655551

E : marketing@nayaraenergy.com

Registered Office:

Kharabhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India

T : +91 2833 661444 | F : +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116

www.nayaraenergy.com

Full title of the Project: **Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.**

File No: **FP/RJ/ROAD/40754/2019**

Date of Proposal: **21-06-2019**

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेंसी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 15 की पालना में यूजर एजेंसी द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा और MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018. के अनुसार कार्रवाई की करने की सहमति प्रदान करती है।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited

Authorised Signatory

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Full title of the Project: **Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.**

File No: **FP/RJ/ROAD/40754/2019**

Date of Proposal: **21-06-2019**

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 16 की पालना में यूजर एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित सम्भागीय वन अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार ही प्रोजेक्ट की लागत पर प्रत्यावर्तित वन भूमि का जमीन पर डिमार्केशन किया जायेगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited

Authorised Signatory

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Nayara Energy Limited

105, Hukunraj Tower, Residency Road,
Nr. Polytechnic Collage, Jodhpur Rajasthan 342011

T + 91 291 2655551

E marketing@nayaraenergy.com

Registered Office:

Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India

T +91 2833 661444 | F+91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116

www.nayaraenergy.com

Full title of the Project: Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.

File No: FP/RJ/ROAD/40754/2019

Date of Proposal: 21-06-2019

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 18 की पालना में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसी भी अन्य स्थिति में वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, संरक्षण और विकास के हित में समय-समय पर निर्देशित कर सकता है। इस हेतु यूजर एजेन्सी सहमति प्रदान करती है।

Place: Jodhpur

Date: 10.09.2020

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited

Authorised Signatory

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Nayara Energy Limited

105, Hukimraj Tower, Residency Road,
Nr. Polytechnic Collage, Jodhpur Rajasthan 342011

T +91 291 2655551

E marketing@nayaraenergy.com

Registered Office:

Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India

T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116

www.nayaraenergy.com

Full title of the Project: **Diversion of 0.1685 ha of forest land in Favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh - Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone 209/390 - 209/430(RHS) Village 7BLW District- Hanumangarh.**

File No: **FP/RJ/ROAD/40754/2019**

Date of Proposal: **21-06-2019**

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर एजेन्सी **NAYARA ENERGY LIMITED** द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 19 की पालना में यूजर एजेन्सी द्वारा सभी शर्तों की पूर्ति कर पालना रिपोर्ट को ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड कर दिया जायेगा। कम्पनी इस हेतु बाध्य होगी।

Place: **Jodhpur**

Date: **10.09.2020**

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Nayara Energy Limited

Authorised Signatory

e. g. -
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Nayara Energy Limited

105, Hukumaraj Tower, Residency Road,
Nir. Polytechnic College, Jodhpur Rajasthan 342011

T + 91 291 2655551
E marketing@nayaraenergy.com

Registered Office:

Khamthalia Post Box No. 24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India
T +91 2833 661444 | F +91 2833 662727

CIN: U11100GJ1989PLC032116
www.nayaraenergy.com

कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़



क्रमांक : एफ()उवस/सर्वे/2020-21/

दिनांक : 25/6/21

शर्त संख्या 13

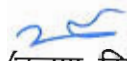
Full title of the Project: **Diversion of 0.1685 hact. of forest land in favor of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh-Sri ganganagar NH-62 Between Chainage ms stone 209/390-209/430 (RHS) Village 7 BLW District Hanumangarh.**

File No: **FP/RJ/ROAD/40754/2019**

Date of Proposal: 21.06.2019

प्रमाण-पत्र

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 13 की पूर्ति में यह प्रमाणित किया जाता है कि नयारा एनर्जी लिमिटेड द्वारा एन.एच.-62 (पुराना एन.एच.-15) के चेनेज नं. 209/390-309/430 दाहिने हाथ की ओर ग्राम - 7BLW किला नं. 21-23, तहसील-पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ राज0 में स्थापित किये जाने वाले रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) पर सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु क्षेत्रफल 0.1685 हैक्टर प्रत्यावर्तन में प्रस्तावित आरओ किसी भी मौजूदा आरओ की निकटता के अनुरूप नहीं है।


(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़


(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़

क्रमांक : एफ()उवस/सर्वे/2020-21/

दिनांक : 25/6/2021

शर्त संख्या 17

Full title of the Project: **Diversion of 0.1685 hact. of forest land in favor of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh-Sri ganganagar NH-62 Between Chainage ms stone 209/390-209/430 (RHS) Village 7 BLW District Hanumangarh.**

File No: **FP/RJ/ROAD/40754/2019**

Date of Proposal: 21.06.2019

प्रमाण-पत्र

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 17 की पूर्ति में यह प्रमाणित किया जाता है कि नयारा एनर्जी लिमिटेड द्वारा एन.एच.-62 (पुराना एन.एच.-15) के चेनेज नं. 209/390-309/430 दाहिने हाथ की ओर ग्राम - 7BLW किला नं. 21-23, तहसील-पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ राज0 में स्थापित किये जाने वाले रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) पर सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु क्षेत्रफल 0.1685 हैक्टर प्रत्यावर्तन में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कोई उल्लघन नहीं हुआ है।

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

OFFICE OF DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST, HANUMANGARH
PROFORMA FOR VERIFICATION OF DEPOSITS IN COMPENSATORY AFFORESTATION FUND

1	Name of Regional Office	Regional Chief Conservator of Forest, Bikaner					
2	State/District/Forest Division to which the proposal relates	Rajasthan/Hanumangarh/Hanumangarh					
3	Name of User Agency, nature of proposal	NAYARA ENERGY LIMITED (FORMELY ESSAR OIL LTD.)					
4	Nature and category of proposal	Approach Road					
5	Proposal number	FP/RJ/ROAD/40754/2019					
6	Extent of forest area involved	0.1685 Hact.					
7	Whether original of extension	Original					
8	If extension of leas, please clarify if proposal involves additional forest area and if so, specify	Nil					
9	Date of 1st Stage clearance	746 Date 17.07.2020					
10	Extent of CAMPA charges, head wise viz						
	(a) Compensatory Afforestation	145522					
	(b) Additional Compensatory Afforestation	0					
	(c) Penal Compensatory Afforestation	0					
	(d) Catchment Area Treatment	0					
	(e) Wildlife Management Plan	0					
	(f) Additional charges for diversion of area filling under notified/protected area	0					
	(g) Net Present Value	73803					
	(h) Any other charges/levels (Please specify)	10000					
		Total 229325					
11	Whether payment made through challan or otherwise. In case of online payment, details or challan	Online					
12	Details of deposits						
S.No	Type of deposit {NPV/CA/IWMP/Others (specify)}	Whether by RTGS/DD/ NEFT (Specify)	UTR/ DD No.	Amount deposited (Rs.)	Date of deposit	Name of Bank from which amount transferred to account of CAF	Bank Account of CAF managed by CAMPA in which fund deposited
1	CA	CHALLAN	BARBH20252887544	137760	08.09.2020	NA	Corporation Bank Lodhi Complex New Delhi 110003
2	NPV			73803	08.09.2020		150856140754392
3	OTHER			10000	08.09.2020		150856140754949
4	CA		BARBW21025804083	7762	25.01.2021		
			Total	229325			



श्रीगंगानगर - ३३५, ००१
 SRIGANGANAGAR - 335 001
 RTGS/NET IFSC CODE BARBOSRIGAN
 08150015181192

डिमांड / DEMAND
 ड्राफ्ट / DRAFT

25072021
 D D M M Y Y Y Y

मैंने जाने पर UP VAN SANRAKSHAK HANUMAN GARH - X -
 On Demand Pay

या उनके आदेश पर
 Or Order

रुपये - Two Thousand Nine Hundred only - X -
 Rupees

अदा करें

₹ 2900/-

कृपया प्राप्त हुआ / FOR VALUE RECEIVED
 PURCHASER NAME:

CH SR GHANSHYAM SITTING STATION
 Hanumanagar

DD/2015/MR

(DD Alpha Prefix)

अदाकर्ता शाखा / Drawee Branch
 3 अक्षर कोड, ALPHA CODE
 SRIGAN (HANUMA)

संयुक्त प्रबंधक / Joint Manager
 र.स.नं./S.S. NO. (

शाखा प्रबंधक / Branch Manager
 र.स.नं./S.S. NO. 134224

For Bank of Baroda Sign. As
 DD Single Sign. As
 Per Guidelines

⑈348050⑈ 335012002⑈ 200815⑈ 15

9 8 7 6 5 4 3 2 1
 9 8 7 6 5 4 3 2 1

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 08-09-2020	
Agency Name.	NAYARA ENERGY LIMITED
Application No.	6140754392
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/16/2020/FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	105-106, Hukumraj Tower, Residency Road, Jodhpur
Amount(In Rs)	221563/-
Amount In Words :Two Lakh Twenty-One Thousand Five Hundred and Sixty-Three Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856140754392 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 08-09-2020	
Agency Name.	NAYARA ENERGY LIMITED
Application No.	6140754392
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/16/2020/FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	105-106, Hukumraj Tower, Residency Road, Jodhpur
Amount(In Rs)	221563/-
Amount In Words :Two Lakh Twenty-One Thousand Five Hundred and Sixty-Three Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856140754392 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Print Back

012- BARBH 20252887544



AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 19-01-2021	
Agency Name.	NAYARA ENERGY LIMITED
Application No.	6140754949
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/16/2020/FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	105-106, Hukumraj Tower, Residency Road, Jodhpur
Amount(in P.s)	7762/-
Amount in Words :Seven Thousand Seven Hundred and Sixty-Two Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856140754949 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 19-01-2021	
Agency Name.	NAYARA ENERGY LIMITED
Application No.	6140754949
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/16/2020/FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	105-106, Hukumraj Tower, Residency Road, Jodhpur
Amount(in Rs)	7762/-
Amount in Words :Seven Thousand Seven Hundred and Sixty-Two Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856140754949 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

UTLW
BAPD 21025804083
25-1-2021



कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़

क्रमांक: एफ/सर्वे/उवसं/2020-21/176



दिनांक 07/01/2021

नायरा एनर्जी लि0, 105-106,
हुकुमराज टॉवर रेजीडेंसी रोड
नियर पॉलिटेक्निक कॉलेज
जोधपुर, राजस्थान।

विषय :- Diversion of 0.1685 ha. of forest land in favour of NAYARA ENERGY LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed NAYARA ENERGY LIMITED (Formally Essar Oil Limited) Retail outlet on Suratgarh-Sriganganagar Road (NH-62) Between Chainage Ms Stone No. 209/390-209/430 (RH) Village 7BLW District Hanumangarh (proposal No. FP/RJ/ROAD/40754/2019)

प्रसंग :- श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर का पत्रांक 10138-45 दिनांक 23.12.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.08.2020 से श्रमिक दर 213/- रु से 225/- रु प्रति दिवस होने के कारण दिनांक 19.08.2020 से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 213/- रु से वसूल की गई है तो श्रमिक दर 225/- रु प्रति दिवस से वसूल करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। अतः आप द्वारा पूर्व में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 137760/- (एक लाख सैंतीस हजार सात सौ साठ मात्र) 213/- प्रति श्रमिक दिवस से जमा करवाई गई है। अतः अंतर की राशि 7762/- रु कैमा फण्ड में जरिये ई-चालान से जमा करवाकर चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके।

(किरण सिंह)

उप वन संरक्षक

हनुमानगढ़

क्रमांक/सम/177-78

दिनांक 07/01/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, पीलीबंगा।
2. श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री प्रेमकुमार जाट निवासी मकान नं.8, विकास नगर, श्रीगंगानगर।

उप वन संरक्षक

हनुमानगढ़

दिनांक: 13.08.2020

क्रमांक: एसपीएल-01

दिनांक: 11.08.2020

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आम सूचना

ग्राममंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की न/मृत्यु/पक्का मकान आदि कारणों से जाना प्रस्तावित है। अतः सार्वजनिक सूची में है तो अपनी आपत्ति व्यक्तिगत शन के सात दिवस में दर्ज करवा दें।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत 3 एम.के. के राजस्व चकों में सर्वे 2011 (सैक) के चयनित निम्न परिवार (व्यक्ति/पलायन/मृत व्यक्ति) पाये गये हैं। अगर कोई व्यक्ति दावा/आपत्ति है तो सात दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय में समयावधि के दौरान अपना दावा/आपत्ति पेश कर सकता है। अन्यथा इनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सैक 2011 की चयनित सूची में से नाम हटा दिया जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पीएमएवाई आईडी	सैक 2011 में क्रमांक	जाति	अन्य विवरण
1.	मोहन लाल	2362690	68	SC	पलायन
2.	अमरजीत सिंह	2373675	69	SC	पलायन
3.	हनुमान	3482380	148	SC	मृत
4.	बीरबल राम	2285574	61	SC	पलायन (स्वयं का प्रार्थना पत्र)

जसविन्द कौर
सरपंच, ग्राम पंचायत 3 एम.के.

ओमप्रकाश
ग्राम विकास अधिकारी

अपात्र होने का कारण	वि.वि.
पक्का मकान	
पक्का मकान	
पक्का मकान	
मुखिया की मृत्यु एवं परिवार पलायन	

तास अधिकारी, ग्राम पंचायत मालेर

नपुरा (8 वाई)

ता श्रीगंगानगर

दिनांक:

ग आम सूचना

क्र 2011 सूची में से निम्नलिखित परिवारों गया है, जिनका नाम वर्तमान पीएमएवाई में से पात्रता रखता है तो अपना आवेदन तक जमा करावें। अन्यथा निर्धारित समय जम्मेवारी नहीं होगी।

PMAY-ID	कैटेगरी	अपात्र होने का कारण
3099319	SC	पलायन
1196873	SC	फौत
237008	SC	पक्का
2100286	Other	पक्का
2088519	SC	पक्का
2914818	Other	पलायन
3571222	SC	लाभ नहीं लेना चाहता
2897453	SC	पक्का
2424038	SC	पलायन
1415947	SC	पलायन
1370816	SC	पलायन
1192448	SC	पलायन
2086739	SC	फौत
1722599	SC	लाभ मिला
3441425	SC	पक्का
3148689	SC	पलायन
3501612	SC	पलायन
2091626	Other	पलायन

सरपंच, ग्राम पंचायत मोहनपुरा



पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment Forest & Climate Change Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर, एच अलीगंज, कार्यालय, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow, 226024, Telefax- 2326696, email: roc zilco_usel@gov.in, lb.env@rediffmail.com
पत्र संख्या 8बी/राज./06/16/2020/एफ सी/746 दिनांक: 17.7.2020

सेवा में
शासन सचिव (वन), सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन, जयपुर (राजस्थान)

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Road/40754/2019

Sub: Diversion of 0.1685 ha. of forest Land in favour of NAYARA ENERGY LIMITED for construction of approach road for proposed NAYARA ENERGY LIMITED (Formally Essar oil Ltd.) Retail outlet on Suratgarh- Sriganaganagar Road (NH-62) between chainage Ms. Stone no. 209/390/209/430 (LHS) Village 78LW District Hanumangarh

संदर्भ:- शासन सचिव (वन) राजस्थान शासन, जयपुर का पत्रांक-प.1 (36) वन/2020/जयपुर दिनांक 11.6.2020

महोदय

उपरोक्त विषय पर शासन सचिव वन विभाग राजस्थान शासन का पत्रांक प.1 (36) वन/2020, जयपुर दिनांक 11.6.2020 का आशय प्राप्ति करने का कट करे। जिसके द्वारा विन्यासित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त विन्यासित परियोजना हेतु कुल 0.1685 हे. सन्निहित वनभूमि के प्रत्यवर्तन एवं 3 वृक्षों के पालन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. Legal Status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the forest Department for plantation of 168 trees in forest land (Compartment No. 245/1, Village- Sonari, Tehsil- Nohar District - Hanumangarh) at the cost of the user agency As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 Years. The Scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Net present Value (NPV) for the 0.1685 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user Agency as per the orders of Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003/ 28/03/2008, 24/4/2008 and 9/5/2008 in IA No. 566 In WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide Letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/9/2003 as well as Letter No. 5-2-2006 FC dated 3/10/2006 and 5-3/2007 FC dated 5/2/2009 in this regard.
5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert committee. Shall be charged by the state Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
6. User agency shall restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the state Forest Department and Cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the state forest Department.
7. User agency shall use the land between entry and exit of petrol pump for plantation and conservation of trees. the same shall be demarcated by 2 feet wall.
8. Greenery will be maintained by user agency around periphery of petrol pump.
9. Fuel station should generally be a part of rest area complex having amenities like Parking etc. suitable signs marking without damaging existing trees.
10. plantation shall also be done along the inside Boundary of fuel station.
11. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)
12. The complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of Prescribed certificate from the concerned District Collector.
13. Certificate of DFO Certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 14-7-2013 has to be provided.
14. The period of Diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
15. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the Mo EF & CC Guideline F No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
16. The Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost. as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
17. No Violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.
18. any other condition that the ministry of Environment forests & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forest & wildlife.
19. The Compliance report shall be uploaded on e-portal https://parivesh.nic.in/

प्राप्ति संग्राह्य, उपवन महानिरीक्षक केन्द्रीय

राजस्थान, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, KMS between (Chainage No. 208.915-208.950) का वास्तविक स्वीकृति 7 (अधोलिखित) यहाँ के पालन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है:-

1. इन भूमि की वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। 3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र को पर्यावरण एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी एवं उनके संक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे। 4. प्रस्तावित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को यहाँ वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटे जायें। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ पतियक्ष्य होने पर, वन विभाग के होंगे। 5. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/क्षेत्र के आस-पास मकानों/स्टोर/घरों के लिए किसी भी प्रकार का कंपन नहीं लगाया जायेगा। 6. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निम्न कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मकानों/स्टोर/घरों को सोर्सिंग/गैस/कोलिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। 7. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटे जा घने का कार्य नहीं किया जायेगा। 8. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निष्कास मार्ग के दोनों ओर किन्तु पड़े स्थानों पर टी गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनकर सीमांकन का इसका उपयोग शुरू लगने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जायेगा। यह बुझारोपण क्षतिपूर्ति प्रयोजन के अतिरिक्त होगा। 9. प्रयोक्ता अधिकरण स्वतंत्रता एवं परिवहन में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशानिर्देशों का पालन करेगा। 10. प्रयोक्ता अधिकरण के स्वयं पर वन विभाग द्वारा शुरू से 10 वर्षों का पालन होने पर 100 वर्षों तथा 10 से अधिक वर्षों का पालन होने पर पालन करने वाले शुरू का दस गुना वन में शुरू का बुझारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वनमान दर्शो को स्थापित करते हुए रॉस वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सुविधा ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी। 11. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वनमान उन्मूलन व्यावसायिक के लिए विधेयन (सिक्किट) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 266 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दि. 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दि. 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार राष्ट्र वनमान मूल्य (एन.वी.सी.) की निर्धारित दरों का पालन करेगा। उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वनमान मूल्य तथा शुरू की गई निविदा प्रतियोगिता निर्धारण के प्रत्येक तब जायेंगे प्रतिकारण के तद्वत निकास के क्षेत्रों में OSMFWP द्वारा सुविधा ई-चालान द्वारा जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई भरतशि का बैंक चालान/पेट्रीआर संख्या/क्रेडिटफंडी नम्बर को छाया प्रति सहित बैंगलूरि स्थित स्वीकृति की अनुपालना आख्या (सिमेंट जमा की गई राशि का मन्दाय विवरण) प्रेषित की जाए, तदुपरांत विधिवत, स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। 12. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वनमन्दायता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी कि सक्षम स्तर से यदि एन.वी.सी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निम्नानुसार जमा की जाएगी। 13. उत्तर सरकार द्वारा दी गई इन अनुमति का प्रयोग वन संरक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 14. भारत सरकार के पत्र 7-23/2012-एफ.सी. दि. 24.07.2013 से मानवीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दि. 07.11.2012 को पारित निर्णय की प्रकाशन प्रकरण में सुनिश्चित की जाये तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूरर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षर-प्रकाशित कराने एवं जारी स्वीकृति की प्रतियाँ स्वीकृति निकास, संसाधन एवं नगरपालिका के जवकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्त के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

भारतीय, (सी. सी. नारायण पाण्डेय), शासन सचिव



NOTICE

1. The applicant above-named has made an application before the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi for Petition 1: Approval under regulation-86 of CERC (Conduct of Business) Regulations'1999 and CERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulations'2019 for determination of Transmission Tariff from DOCO to 31-03-2024 for Asset-I: Combined Assets of (1) Charging of Tehri Pooling-Meerut line Ckt-I at 765kV level along with associated bays at Koteswar (Tehri Pooling Station) end and 240 MVAR switchable line reactor and associated bays at Meerut end (2) 765/400kV 800 MVA ICT-II alongwith associated bays at Koteswar (Tehri Pooling Station) (3) 765/400kV 800 MVA ICT-III alongwith associated bays at Koteswar (Tehri Pooling Station) (4) 765/400kV 800 MVA ICT-IV alongwith associated bays at Koteswar (Tehri Pooling Station); Asset-II: Combined Assets of (1) Charging of Tehri Pooling-Meerut line Ckt-II at 765kV level along with associated bays at Koteswar end and 240 MVAR switchable line reactor and associated bays at Meerut end (2) 765/400kV 800 MVA ICT-I alongwith associated bays at Tehri (Koteswar) (GIS Pooling Station) (3) 765/400kV 1500 MVA ICT alongwith associated bays at Meerut Substation (4) Modification of series capacitor at Meerut Substation for operation at 765 kV level (5) 765 KV 240 MVAR Bus Reactor along with associated bay at Tehri (Koteswar) under Transmission system associated with Tehri Pump Storage Plant (PSP).

2. The beneficiaries for Combined Assets of the above mentioned Transmission system are: (1) Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Limited, (2) Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd. (3) Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. (4) Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd. (5) Punjab State Electricity Board. (6) Haryana Power Purchase Centre (7) Power Development Deptt, Govt. of Jammu & Kashmir (8) Uttar Pradesh Power Corporation Ltd. (9) Delhi Transco Ltd. (10) BSES Yamuna Power Ltd. (11) BSES Rajdhani Power Ltd. (12) North Delhi Power Ltd. (13) Chandigarh Administration (14) Uttaranchal Power Corporation Ltd. (15) North Central Railway (16) New Delhi Municipal Council. (17) Himachal Pradesh State Electricity Board.

S.No	Subject	Petition 1
1	Approved capital cost of the project (Rs. in Cr.)	671.62
2	Authority which has approved the Capital Cost	Board Of Directors
3	Scheduled date of commercial operation	28.10.2017
4	Date of commercial operation	17.04.2020, 30.06.2020(Anti.)
5	Capital cost on DOCO (Rs. in Cr.)	849.91

3. Details of tariff: 2019-24 (Rs. in Lakhs)

Name of the asset	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Asset-I	-	7218.77	8121.38	8247.71	8223.07
Asset-II	-	5057.31	7339.07	7497.01	7490.51

4. A copy of the application made for determination of tariff is posted on the website of the applicant at www.powergridindia.com.

5. The suggestions and objections, if any, on the proposals for determination of tariff contained in the application be filed by any person, including the beneficiary before the Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, 3rd & 4th Floor, Chandrak Building, 36, Janpath, New Delhi-110 001 (or other address where the office of the Commission is situated), with a copy to the applicant at the address of its corporate office "Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122 001 within 30 days of publication of this notice.

Place: GURGAON Sd/-
Date: 13.08.2020 Senior General Manager (Commercial)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)
Corp. Office : "Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon-122001, (Haryana) Tel. : 0124-2571700-719
Reg. Office : B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110 016. Tel. : 011-26560112, 26560121
www.powergridindia.com, CIN : L40101DL1989GOI038121

A MAHARATNA PSU

Jaipur

03(Three) places outside Odisha State have been added to the existing places for online examination Centres.

Therefore, the online application portal will be opened from 13.08.2020 on 5 P.M. to 16.08.2020 till 11:59 P.M. so that all the candidates, who have successfully completed their application as on the last date of application, can login to the online OJEE Application Portal using their corresponding id and password and modify, if they want, only their choice of examination centres as per their convenience. For further details, the candidates may visit www.ojee.nic.in.

Sd/-
CHAIRMAN, OJEE, ODISHA

भारत सरकार
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment Forest & Climate Change Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर, एच अलीगंज, कार्यालय, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow, 226024, Telefax- 2326696,
email: roc2ilco.uses@gov.in, ib_env@rediffmail.com

पत्र संख्या डब्ल्यू/राज/06/16/2020/एफ सी/746 दिनांक: 17.7.2020

सेवा में

शासन सचिव (वन), सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन, जयपुर (राजस्थान)

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Road/40754/2019

Sub: Diversion of 0.1685 ha. of forest Land in favour of NAYARA ENERGY LIMITED for construction of approach road for proposed NAYARA ENERGY LIMITED (Formerly Essar oil Ltd.) Retail outlet on Suratgarh- Sriganganagar Road (NH-62) between chainage Ms. Stone no. 209/390/209/430 (LHS) Village 7BLW District Hanumangarh

संदर्भ:- शासन सचिव (वन) राजस्थान शासन, जयपुर का पत्रांक-प.1 (36) वन/2020/जयपुर

दिनांक 11.6.2020

महोदय

उपर्युक्त विषय पर शासन सचिव वन विभाग राजस्थान शासन का पत्रांक प.1(36) वन/2020, जयपुर दिनांक 11.6.2020 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा विषयवस्तु प्रस्ताव पर वन (संक्षण) अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपलब्ध मूल्य आपकी यह मूल्य करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार उपर्युक्त विषयवस्तु परियोजना हेतु कुल 0.1685 हे. सार्वजनिक वनभूमि के प्रत्येक वर्ग एवं 3 वर्गों के पलत के सैद्धांतिक स्वीकृति निर्धारित शर्तों पर प्रदान करती है।

- Legal Status of the forest land shall remain unchanged.
- Compensatory afforestation shall be taken up by the forest Department for plantation of 168 trees in forest land (Compartment No. 245/1, Village- Sonari, Tehsil- Nohar District-Hanumangarh) at the cost of the user agency As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
- The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 Years. The Scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
- The State Government shall charge the Net present Value (NPV) for the 0.1685 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003/ 28/03/2008, 24/4/2008 and 9/5/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide Letters No. 5-1/1998-FC (PL II) dated 18/9/2003 as well as Letter No. 5-2-2006 FC dated 3/10/2006 and 5-3/2007 FC dated 5/2/2009 in this regard.
- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert committee. Shall be charged by the state Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- User agency shall restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the state forest Department and Cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the state forest Department.
- User agency shall use the land between entry and exit of petrol pump for plantation and conservation of trees. the same shall be demarcated by 2 feet wall.
- Greenery will be maintained by user agency around periphery of petrol pump.
- Fuel station should generally be a part of rest area complex having amenities like Parking etc. suitable signs marking without damaging existing trees.
- plantation shall also be done along the inside Boundary of fuel station.
- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>)
- The complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of Prescribed certificate from the concerned District Collector.
- Certificate of DFO Certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-7-2013 has to be provided.
- The period of Diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the Mo EF & CC Guideline F No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
- The Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
- No Violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.
- any other condition that the ministry of Environment Forests & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forest & wildlife.
- The Compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>)

प्राची गंगवार, उपवन महानिरीक्षक, केन्द्रीय

Office Of The District Collector and District Magistrate
Hanumangarh (Rajasthan)

No. F.21() () NOC/Jud./2020/ 17625

Date: 20/10/2020

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.- 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.1685 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Nayara Energy Limited for Construction of Approach Road for Proposed **Proposed Private Industrial** Property of Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh-Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone- 209+390 to 209+430(RHS) Pather no 40/247(56) kila no 21,22 &23 at Village 7 BLW, Tehsil Pilibanga, District Hanumangarh.

It is further certified that :-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.1685 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub- Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure ...
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above



Collector & District Magistrate
Hanumangarh (Rajasthan)

No. F.21() () NOC/Jud./2020/ 17626-27

Date: 20/10/2020

Copy to :-

- 1- DCF Hanumangarh.
- 2- Smt. Suman W/o Perm Kumar, House No 8, Gali No 1, Vikas Nager, Sri Ganganager (Rajasthan)

Add. Collector & Add. District Magistrate
Hanumangarh (Rajasthan)

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

क्रमांक:- एफ 21() () एनओसी/न्याय/2020/17163

दिनांक :- 08/10/2020.

-: बैठक कार्यवाही विवरण :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/राज/06/22/2015/एफ.री./200 दिनांक 02.06.2015 एवं राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) के पत्रांक प:6 (14)प्रसू/अनु-3/2008(2) दिनांक 14.03.2008 की अनुपालना में दिनांक 06.10.2020 को 12 पी.एम. पर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति के संबंध में जिला स्तरीय समिति हनुमानगढ़ की बैठक जिला कलक्टर कक्ष में रखी गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारी उपस्थित हुए :-

1. जिला कलक्टर हनुमानगढ़।
2. अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ़।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ़।
4. उपवन संरक्षक हनुमानगढ़।

उक्त बैठक में प्रस्तावित वन भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-62 पर स्थित चक 7 बीएलडब्ल्यू के प0न0 40/247, कि0न0 21/0.026 हैक्टेयर, 22/0.228 हैक्टेयर कुल 0.254 हैक्टेयर भूमि पर नायरा एनर्जी लिमिटेड (एस्सार ऑयल लिमिटेड) जोधपुर द्वारा रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) लगाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 से रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) पर वाहनों के आवागमन हेतु 0.254 हैक्टेयर भूमि के प्रस्ताव के संबंध में जिले के उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा, विकास अधिकारी पंचायत समिति पीलीबंगा एवं ग्राम पंचायत खोथावाली तहसील पीलीबंगा की गठित कमेटी से प्राप्त बैठक कार्यवाही विवरण के आधार पर लिये गये निर्णय अनुसार हनुमानगढ़ जिले के अधीनस्थ वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति/समुदाय के उक्त अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकार के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकारों हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियमों में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है।

अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-62 पर स्थित चक 7 बीएलडब्ल्यू के प0न0 40/247, कि0न0 21/0.026 हैक्टेयर, 22/0.228 हैक्टेयर कुल 0.254 हैक्टेयर भूमि पर नायरा एनर्जी लिमिटेड (एस्सार ऑयल लिमिटेड) जोधपुर द्वारा रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) लगाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 62 से रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) पर वाहनों के आवागमन हेतु कुल 0.254 हैक्टेयर भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में प्रस्ताव की सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुशंसा की जाती है।

उपवन संरक्षक
हनुमानगढ़
(सदस्य)

अतिरिक्त जिला
कलक्टर हनुमानगढ़
(सदस्य)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद हनुमानगढ़
(सदस्य)

जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़
(अध्यक्ष)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट पीलीबंगा

क्रमांक:-

दिनांक:-17.09.2020

बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ़ के पत्रांक एफ.17 00न्याय/विविध/2020/15311 दिनांक 04.09.2020 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 17.09.2020 को उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया बैठक में उपस्थित अधिकारी का विवरण निम्नानुसार है।

1. उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
2. विकास अधिकारी पीलीबंगा
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी पीलीबंगा

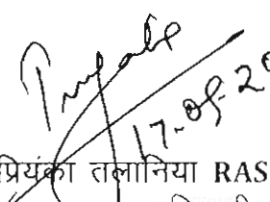
बैठक में जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ़ के विचाराधीन प्रकरण मुरब्बा नम्बर 6, प. न.40/247 किन्नर.21,22,0 23 गांव 7 बीएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ पर नया रिटेल आडटलेट (पेट्रोल पम्प) एवं मु.न.55 किपन.21 ता 25 चक बीएलडब्ल्यू नजदीक जी.आर ग्लोबल स्कूल गंगानगर रोड तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ पर निर्माण इकाई (बायो डीजल) स्थापित करने बाबत के संबंध में चर्चा की गई क्षेत्रीय वन अधिकारी पीलीबंगा के द्वारा अवगत करवाया गया कि श्रीमती सुमन पत्नी प्रेमकुमार की प्रस्तावित भूमि व सड़क के मध्य 00.1685 है. एवं director Juggler HAWK ind pvt ltd की प्रस्तावित भूमि के मध्य 0.2239 है. वन भूमि है जिसका गजट नोटिफिकेशन राजस्व विभाग द्वारा protected Forest है। प्रस्तावित भूमि वन अधिकार अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई भी दावे लम्बित या प्रक्रियाधीन नहीं है। इस बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति/समुदाय के उक्त अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकारी के सम्बन्ध में कोई भी अप्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

विकास अधिकारी पीलीबंगा द्वारा अवगत करवाया गया कि उपरोक्त के संबंध में ग्राम सभा प्रस्ताव दिनांक 17.09.2020 प्रस्ताव संख्या 03 लिया गया। जिसमें अनापति प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुशंसा की गई। जिसकी कार्यवाही संलग्न है।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
पीलीबंगा

विकास अधिकारी
पंचायत रागिति
पीलीबंगा


(प्रियंका तलानिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पीलीबंगा

कार्यालय ग्राम पंचायत खोथावाली पंचायत समिति पीलीबंगा

क्रमांक :- 400

दिनांक- 17-9-20

श्रीमान् विकास अधिकारी,
पंचायत समिति पीलीबंगा।

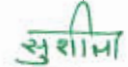
विषय- ग्राम सभा प्रस्ताव दिनांक 17.09.2020 प्रस्ताव संख्या 03 के संबंध में ।

आज दिनांक 17.09.2020 को ग्राम सभा बैठक का आयोजन सरपंच श्रीमति सुशीला की अध्यक्षता में आयोजित की गई उक्त गाम सभा में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति के निम्नांकित सदस्यों ने बैठक में भाग लिया जिसकी कार्यवाही निम्नानुसार है ।

9. श्रीमति सुशीला	सरपंच अध्यक्ष	
10. श्री सुशील कुमार	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
11. श्री अर्मतपाल	कृषि प्रवेक्षक	सदस्य
12. श्री सतेन्द्रपालसिंह	प्राचार्य	सदस्य
13. श्री कलवंतसिंह	उपसरपंच	सदस्य
14. क्षेत्रीय वन अधिकारी		सदस्य
15. श्री मति अर्मतपाल कौर	कार्यकर्ता	सदस्य
16. श्री नीकुराम	राजस्व पटवारी	सदस्य

आज की बैठक में श्रीमति सुमन पत्नी प्रेमकुमार जाति जाट साकिन चक विकास नगर श्रीगंगानगर द्वारा मुरबा न0 56 पत्थर न0 40/247 किला न0 21 से 23 चक 7 बीएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ पर नया रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने व मुरबा न0 55 किला न0 21 ता 25 चक 7 बीएलडब्ल्यू मे बायोडीजल इकाई स्थापित करने हेतु अनापति प्रमाण-पत्र चाहा है। उक्त दोनों तरफ रकबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के कारण अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्पसंगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है उक्त जगह पर कोई उक्त वन भूमि में पेड नहीं है सूखे घास व छोटी मोड़ी झाड़िया है तथा वर्तमान में किसी भी प्रकार का आवास नहीं है न ही कोई आवासीय क्षेत्र आवासीय क्षेत्र सामान्य/अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत निवासी क्षेत्र प्रभावित करता है । उक्त प्रावधानों के संबंध में ग्राम पंचायत खोथावाली पंचायत समिति पीलीबंगा के द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुषाशा श्रीमान जी को अग्रिम कार्यवाही प्रेषित है।


सुशील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत खोथावाली
पंचायत समिति पीलीबंगा


श्रीमति सुशीला
सरपंच
ग्राम पंचायत खोथावाली
पंचायत समिति, पीलीबंगा

कार्यालय पंचायत समिति पीलीबंगा, जिला परिषद् हनुमानगढ़

क्रमांक:-पं.सं.पी/पं.शा./2020/

दिनांक:-

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
जिला हनुमानगढ़।

विषय :- मुरब्बा नं.56, प0न0 40/247, कि0न0 21,22 व 23 गांव 7 बी.एल.डब्ल्यू, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ पर नया रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) एवं मु0 न0 55 कि0न0 21 ता 25 चक 7 बी.एल.डब्ल्यू, नजदीक जी. आर. ग्लोबल स्कूल गंगानगर रोड तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ पर निर्माण इकाई (बायो डीजल)स्थपित करने के संबंध में ग्राम सभा बैठक आयोजन करने बाबत।

प्रसंग :- श्रीमान जी के कार्यालय पत्रांक 16018 दिनांक 04.09.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि आवेदक श्रीमती सुमन पत्नी श्री प्रेम कुमार निवासी नया चक विकास नगर श्रीगंगानगर के द्वारा मुरब्बा नं.56, प0न0 40/247, कि0न0 21,22 व 23 गांव 7 बी.एल.डब्ल्यू, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ पर नया रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) स्थापित करने एवं आवेदक Director juggler Hawk Ind. Pvt. Ltd. श्री गंगानगर द्वारा मु0 न0 55 कि0न0 21 ता 25 चक 7 बी.एल.डब्ल्यू, नजदीक जी. आर. ग्लोबल स्कूल गंगानगर रोड तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ पर निर्माण इकाई (बायो डीजल)स्थपित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र चाहा है, उक्त दोनों रकबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के कारण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आप द्वारा संबंधित क्षेत्र की ग्राम पंचायत में ग्राम सभा बैठक आयोजित कर बैठक कार्यवाही विवरण भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था।

श्रीमान जी निर्देशों की पालना में ग्राम पंचायत खोथावाली द्वारा ग्राम सभा बैठक का आयोजन कर लिया गया है बैठक कार्यवाही विवरण सलग्न कर आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सलग्न:- ग्राम सभा बैठक कार्यवाही विवरण।

क्रमांक:-पं.सं.पी/निर्माण शाखा/2020/ 6160

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ सादर प्रेषित है-

1.श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,पीलीबंगा।

(विनोद कुमार रैगर)

RDS

विकास अधिकारी

पंचायत समिति पीलीबंगा

दिनांक:-17-09-2020

(विनोद कुमार रैगर)

RDS

विकास अधिकारी

पंचायत समिति पीलीबंगा

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत / उप समिति

खोचावाली

बैंच

पीलीबंगा

जिला

दुमनागा 6

(राज.) वर्ष 2020

बैठक होने की तिनाङ्क	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के ह
1	2	3	4		6
17-9-20	पंचायत कार	श्रीमति सुशीला		कार्यवाही 17/9/20 को ग्राम पंचायत खोचावाली में विधीय बैठक उपस्थित के अनुसार मो. 888 के द्वारा कार 16018 दिनांक 14-9-20 को कुसुमाला में कामागिरी की गरी उपस्थित लड़कों के लड़कों की विधायक बैठक के कामागिरी बाबत सर्वप्रथम अवगत कराया गया कि कार्य की बैठक में N.H. सुन्दर का गंगानगर का क्षेत्र में एक उद्योग, कामागिरी उद्योग, परल्लु, गडल्लु, व अन्य क्षेत्रों को ग्राम पंचायत खोचावाली के सीमाधिकार में रहता है। उक्त क्षेत्र में कामागिरी के लड़कों पर प्रत्येक अन्य कार्य हेतु पुत्री का सुपरिविल किया जा रहा है। ग्राम सुभा में लागू की राय के अनुसार पर कार्यवाही हेतु बैठक का कामागिरी किया जा रहा है। <u>प्रस्ताव</u> कार्य की बैठक में श्रीमान उपस्थित के अनुसार मो. 888 द्वारा एक प्रस्ताव के अनुसार एक 7B2W में सुमन पत्नी के द्वारा एक नया रिटेल पम्प का कार्यवाही का निर्माण कर. एलेक्ट्रिक के लोदी के पास का पम्प का कार्यवाही के लक्षण प्रस्ताव के कार्यवाही के बैठक कार्यवाही में रहता गया व बैठक के प्रस्ताव में मो. 888 श्रीमति सुशीला सर्वप्रथम 29 ग्राम पंचायत के कार्यवाही व ग्रामाधिकारों के उक्त नगर रिटेल पम्प का कार्यवाही के लक्षण में प्रस्ताव की राय सहित में पंचायत के उपस्थित सर्व सदस्यों से निर्णय किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ वन भूमी व कुसुमाला जन जाति की भूमी में कोई भी नयनी निर्माण नहीं कर रहे हैं। ना ही इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई वन भूमी में कोई निर्माण भी नहीं कर रहे हैं। अतः उक्त स्थान पर नया रिटेल कुसुमाला (पम्प लपम्प) का निर्माण के लक्षण जाते पर निर्णय की वन भूमी व अन्य भूमि को कोई निर्माण नहीं होगा विभागीय निर्माण के लक्षण उक्त नया रिटेल का कार्यवाही (पम्प लपम्प) के अनुसार ही जारी उचित है। कार्यवाही से इन में निर्णय निर्णय उक्त नया रिटेल पम्प के लक्षण पर ही परावर्तन का कार्यवाही के लक्षण नहीं होगा पम्प संचालक द्वारा	

प्रस्ताव

सुशील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत खोचावाली
पंचायत समिति पीलीबंगा

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

यत/ उप समिति

खोचावाली

बैंच

पीली बग

जिला

हनुमानगढ़

(राज.) वर्ष 2020-21

ह होने दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
20	बीमति	सुशीला		नमूने ड्रपेट को लगेकर सार सम्भाल कर उत्तर है। उपराव 2 गांव की बैठक में गांववासी कमिटी सार्वजनिक सड़क मिठाई विभाग द्वारा कीकांटे द्वारा ग्रामपंचायत के द्वारा प्रकाश में वन भूमि के विपथन का अनुमोदन है प्रत्येक पक्ष जमीन उपलब्ध मोहम्मद उदा प्रकाश दुआ है उक्त पक्ष के अनुसार सुस्त गड से गगनगाला पक्ष में वन भूमि के विपथन के बारे में नगर को जवाबत में जाया गया कि उक्त सड़क के दो न तक पक्ष भूमि में कोई वनवासी निवास नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई वन मा पेट सम्पत्ति पर नहीं है। उक्त सड़क पर पम्प स्थापित करने में कोई पक्ष की कशकश नहीं होगी, बाइ दिवार पक्ष सब सहमत है पंचायत बैठक में सब सहमत है निम्न निम्न वसा कि रापल दिनांक	सुशीला नमूने ड्रपेट उत्तर है उपराव 2 गांव की बैठक में गांववासी कमिटी सार्वजनिक सड़क मिठाई विभाग द्वारा कीकांटे द्वारा ग्रामपंचायत के द्वारा प्रकाश में वन भूमि के विपथन का अनुमोदन है प्रत्येक पक्ष जमीन उपलब्ध मोहम्मद उदा प्रकाश दुआ है उक्त पक्ष के अनुसार सुस्त गड से गगनगाला पक्ष में वन भूमि के विपथन के बारे में नगर को जवाबत में जाया गया कि उक्त सड़क के दो न तक पक्ष भूमि में कोई वनवासी निवास नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई वन मा पेट सम्पत्ति पर नहीं है। उक्त सड़क पर पम्प स्थापित करने में कोई पक्ष की कशकश नहीं होगी, बाइ दिवार पक्ष सब सहमत है पंचायत बैठक में सब सहमत है निम्न निम्न वसा कि रापल दिनांक
				कोई वन भूमि दर्ज नहीं है और ना ही उक्त भूमि में कोई वनवासी निवास कर रहा है अतः गांव की ग्राम सभा में कोई डाक सार सहमत है निम्न निम्न वसा कि रापल दिनांक शापनाम के द्वारा, रूफ कोई वनवासी नहीं है। उक्त भूमि का विपथन का प्रयास सब सहमत है कि अनुमोदन किया जा रहा है उक्त रापल सरकार के निषेध में उक्त का संपत्तिक विषय जानकर ग्रामपंचायत का कोई उद्देश्य नहीं है। ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक कार्यवाही	गौनरी सम्भाल सुशीला नमूने ड्रपेट उत्तर है उपराव 2 गांव की बैठक में गांववासी कमिटी सार्वजनिक सड़क मिठाई विभाग द्वारा कीकांटे द्वारा ग्रामपंचायत के द्वारा प्रकाश में वन भूमि के विपथन का अनुमोदन है प्रत्येक पक्ष जमीन उपलब्ध मोहम्मद उदा प्रकाश दुआ है उक्त पक्ष के अनुसार सुस्त गड से गगनगाला पक्ष में वन भूमि के विपथन के बारे में नगर को जवाबत में जाया गया कि उक्त सड़क के दो न तक पक्ष भूमि में कोई वनवासी निवास नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई वन मा पेट सम्पत्ति पर नहीं है। उक्त सड़क पर पम्प स्थापित करने में कोई पक्ष की कशकश नहीं होगी, बाइ दिवार पक्ष सब सहमत है पंचायत बैठक में सब सहमत है निम्न निम्न वसा कि रापल दिनांक
				आपदिनांक 16-9-20 को ग्राम पंचायत कार्यवाही खोचावाली में वन अधिकार कार्यविधिम 2006 के अनुसार में उक्त बैठक का आयोजन किया गया निम्न निम्न निम्न निम्न उपलब्ध है 1. बीमति सुशीला सरपंच 2. सुशीला सुशीला गांव की कमिटी 3. नीलेश शर्मा रापल प्रभारी 4. सुनील पाल सिट प्राचार्य 5. दीपक वन अधिकारी 6. अश्वपाल कारे कार्यवाही 7. कलवरा सिंह उपप्राचार्य	नमूने ड्रपेट उत्तर है उपराव 2 गांव की बैठक में गांववासी कमिटी सार्वजनिक सड़क मिठाई विभाग द्वारा कीकांटे द्वारा ग्रामपंचायत के द्वारा प्रकाश में वन भूमि के विपथन का अनुमोदन है प्रत्येक पक्ष जमीन उपलब्ध मोहम्मद उदा प्रकाश दुआ है उक्त पक्ष के अनुसार सुस्त गड से गगनगाला पक्ष में वन भूमि के विपथन के बारे में नगर को जवाबत में जाया गया कि उक्त सड़क के दो न तक पक्ष भूमि में कोई वनवासी निवास नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई वन मा पेट सम्पत्ति पर नहीं है। उक्त सड़क पर पम्प स्थापित करने में कोई पक्ष की कशकश नहीं होगी, बाइ दिवार पक्ष सब सहमत है पंचायत बैठक में सब सहमत है निम्न निम्न वसा कि रापल दिनांक

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/ उप समिति

खोथावाली

बैंच

पीलीबंगा

जिला

दुधमाणा

(राज.) वर्ष 2020

बैठक होने की तिथि	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
				करी हुई है। पूरी पंचायत समिति की बकाया वे चा गांव पंचायत हो पर लभित है। सड़क की बकाया गांव की मिट्टी उठिया पंचायत समिति स्तर पर प्रशासन की गई है। मिट्टी में समस्त कामवाली पंचायत समिति स्तर से ही होनी है। गांव पंचायत स्तर से कोई कामवाली बकाया नहीं मिलेगा इसे सीमान्त विकास कार्यक्रम में दृष्टि से उच्च बांधू माग इति हिमा गांव में मिट्टी मिले पर नगरपालिका के काम स्वीकृति बांधू कामवाली की जायेगी पहाव सं 6 गांव की बैठक में सरपंच मोहन चंडा कावगत कावाफ कि लालू लालू लालू में सीमान्त विकास में सीमान्त गांव की डाक राउ माग कि खोथावाली में कोलीवाल खोला राउ पिछाया काफ हा उक्त माग माग लालू मिट्टी माग है। उक्त काम की प्रशासनिक स्वीकृति	मंजु काउफ
				काम 3745-49 दिनांक 10-9-20 को फोरी हो चुकी है। उक्त काम की तस्वीरों स्वीकृति जारी कावाफ है। मिट्टी उठिया पर काम स्वीकृति प्रमुख पर-उक्त मिट्टी उठिया काड़ी, दिने जहाँ उठिया है बांधू विचार सड़क की बकाया कि उक्त काम सम्बन्धी समस्त दस्तावेज उक्त दिनांक में तैयार कर जगती कामवाली इसे सीमान्त की प्रोसेस है। बांधू विचार विकास उक्त बैठक का समापन करण्ड मंडल का डाक किया गया	गोमती
				सुशील कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खोथावाली पंचायत समिति पीलीबंगा	सुशील श्रीमती सुशीला सरपंच ग्राम पंचायत खोथावाली पंचायत समिति, पीलीबंगा
				सुशील कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खोथावाली पंचायत समिति पीलीबंगा	

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत / उच्च समिति

2019/9/06

बैंच

4006011

जिला

Σ 2710016

(राज.) वर्ष 2022

बैठक होने की तिथि	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ
17-9-20	पंचायत कार	श्रीमति सुशीला		काफ़ी दिनांक 17/9/20 को ग्राम पंचायत सेवावाली में विधीय बैठक उपदिल कलमेर मो हट्ट के द्वारा मुक्त 16018 दिनांक म-व-20 को कुडालन में कामादि की गरी उपहित लड़कों के लिए की विधायन बैठक के कामादि बाबर संप्रथम आवगत का(बा) गया कि काम की बैठक से N.H. सुदीप के गंगागल का क्षेत्र म-चक उ०म०, डालु D. उ०म० D. परल्लु, ज० B.L.W. व अन्य क्षेत्र का ग्राम पंचायत सेवावाली के सीमाधिकार में कामादि उम्मेर क्षेत्र में जो वा रिके इकोर पम्प व अन्य काया हू पुर्ण का सपरिवर्त किया जा रहा है। ग्राम सुधा में लोग की रास के द्वावर पर कापवाही हू बैठक का कामादन किया जा रहा है। प्रत्यक्ष। डाउन की बैठक में श्रीमान उपदिल कलमेर मो हट्ट द्वारा एक प्रस्ताव के कुडाल-चक 7B2W में सुमन पत्नी उमेश्वर के द्वारा उम्मेर डा नया रिटेन पम्प का कलमेर का निर्माण ज. R. ग्लोबल इंजिनरी के पास का(बा) पाएपादे। उम्मेर ग्रामपञ्च का काम की बैठक कार्य जारी में रहता गां व बैठक में कलमेर में लेइय श्रीमति सुशीला सरपंच एवं ग्राम पंचायत के वार्ड फिक् व ग्रामादि ने उम्मेर नगर रिटेन पम्प का कलमेर के बा में पम्प की रास सहा में चर्चा के उपवान्त सर्व सहमति, समर्थन दिया गया कि राउड्डिय राजभागे के क्षेत्र तरफ वन भूमि व कुडाल जन जाति की भूमि में कोई भी व्यक्ति निवास नहीं कर रहे हैं ना ही इस राजकीय राजभागे पर कोई वन भूमि में कोई निवासी निवास नहीं कर रहा है। अतः उम्मेर स्थान पर नया रिटेन आऊटलेट (पसेल पम्प) का निर्माण का(बा) जान पर किसी भी वन भूमि व अन्य भूमि का कोई रुकसान नहीं होगा विभागीय निदेशानुसार उम्मेर नया रिटेन आऊटलेट (पसेल पम्प) में अनुमति दी जाती उचित हो बादविषय साइन में सिग्नेच कीजाये। उम्मेर नया रिटेन पम्प के लगभग पूरा है पम्प बिरोध का कोई रुकसान नहीं होगा पम्प संचालक द्वारा

5/10/21



सुशील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ...
पंचायत समिति पीलीबंगा

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

यत/ उप समिति

खोथवाली

बैंच

पीलीबंगा

जिला

झुमनागढ़

(राज.) वर्ष 2020-21

क्र होने दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
20	बीमति	सुशीला		नमूने ड्रपिंग को लगाकर सार सम्पादन करी सुशीला अचल है। पराव 2 आपकी बैठक में आपका अधिकार सार्वजनिक सड़क मिमा विभाग द्वारा कीकांटे द्वारा ग्रामपंचायत के द्वारा आपका में वन भूमि को विपथन का अनुमोदन है प्रत्येक पक्ष जमीन उपलब्ध मोहम्मद द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त पक्ष के अनुसार सुस्त गड से गगानगाला पक्ष में वन भूमि के विपथन के बारे में (नगर को) आवगत में वाया गया कि उक्त सड़क के दो न तबुफ भूमि में कोई वनवासी निवास नहीं कर रहे हैं। कार ना ही कोई वन या पेड़ समुदाय नहीं है। उक्त सड़क पर पम्प स्थापित करने में कोई पेड़ की कटाव नहीं होगी, बाउ डिवाइल फिक् सुव स्थिति से पंचायत के एक में सर्व स्थिति से निमित्त निमा वमा कि रापएव दिनांक में	सुशीला पराव 2 अचल है। पराव 2 आपकी बैठक में आपका अधिकार सार्वजनिक सड़क मिमा विभाग द्वारा कीकांटे द्वारा ग्रामपंचायत के द्वारा आपका में वन भूमि को विपथन का अनुमोदन है प्रत्येक पक्ष जमीन उपलब्ध मोहम्मद द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त पक्ष के अनुसार सुस्त गड से गगानगाला पक्ष में वन भूमि के विपथन के बारे में (नगर को) आवगत में वाया गया कि उक्त सड़क के दो न तबुफ भूमि में कोई वनवासी निवास नहीं कर रहे हैं। कार ना ही कोई वन या पेड़ समुदाय नहीं है। उक्त सड़क पर पम्प स्थापित करने में कोई पेड़ की कटाव नहीं होगी, बाउ डिवाइल फिक् सुव स्थिति से पंचायत के एक में सर्व स्थिति से निमित्त निमा वमा कि रापएव दिनांक में
				कोई वन भूमि दर्ज नहीं है। कार ना ही उक्त भूमि में कोई वनवासी निवास कर, शायद है। कार: आपकी ग्राम सभा में कोई डाक सार स्थिति से निमित्त निमा वमा कि रापएव दिनांक में शापनाम के द्वारा, बरफ कोई वनवासी नहीं है। उक्त भूमि का विपथन का उपचार सुव स्थिति से अनुमोदन किया जाता है। उक्त रापस सरकार के निमित्त में भूमि का संपादन निमित्त पक्ष पर ग्रामपंचायत का वन इस्वीकरी है। ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक कापकी	गौमती अम्मापति सुशीला मंनू कलवती
				आपदिनांक 16-9-20 को ग्राम पंचायत कार्यालय खोथवाली में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार में एक बैठक का आयोजन किया गया निमित्त निमा कि मुख्य उपस्थित हुए 1. बीमति सुशीला सरपंच अध्यक्ष 2. सुशीला कुमार गा.वि. अधिकारी सदस्य 3. नीलेश कुमार रापएव प्रभारी 4. सुनील पाल सिंह प्राचार्य 5. दीपक वन अधिकारी 6. अश्वपाल कोरे कारकीर्मी 7. वन वरिष्ठ उपसचिव	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य कारकीर्मी उपसचिव

सुशील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, खोथवाली, पीलीबंगा
पंचायत समिति पीलीबंगा

पंचायत / ग्राम समिति

29/11/2021

बैंच

୩୩୯୭

जिला

६३५१०२१६

(राज.) वर्ष 2022

बैठक होने की तिथि	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सचिव का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
				करी हुई है। पूरी पंचायत समिति की वसूली के का ग्राहक पत्र पर लभित है। सड़क की वसूली ग्राहक मित्रों द्वारा पंचायत समिति स्तर पर प्रशासन की वसूली है। निविदा में समस्त कार्यवाही पंचायत समिति स्तर से ही होती है। ग्राम पंचायत स्तर से कोई कार्यवाही वसूली नहीं निविदा वडे सीमान्त विकास अधिकारी को दिये से उक्त कार्य मागिस्ट्रेट द्वारा प्राप्ति प्राप्त निविदा होने पर मन्त्रालय के माप स्वीकृति बाबत कार्यवाही की जायेगी पृष्ठ सं 6 गाव की बैठक में सचिव मोहन द्वारा अवगत कराया कि माल सुधार समिति में सीमान्त विकास में की कार्यवाही में की जायेगी राज्य मागिस्ट्रेट खोजवाली में कोलीवाल खोज समिति द्वारा विप्रायक कोष का एक लाख रुपये का निधि मंग है। उक्त कार्य की प्रशासनिक सुविधा	गौमती
				क्योंकि 3745-49 दिनांक 10-9-20 का फौजी है। पूरी है। उक्त कार्य की तत्काली स्वीकृति जायी जायेगी। उक्त निविदा में प्रस्तुत कार्य की वसूली प्रमुख पत्र-द्वारा मित्र उदाहरण जारी, यदि जाने उचित है। काउन्सिलर सड़क की वसूली कि उक्त कार्य सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों के द्वारा तैयार कर, अगली कार्यवाही वडे सीमान्त की प्रेषित है। काउन्सिलर विकास उक्त बैठक का समापन करके मन्त्रालय के द्वारा किया गया	
				सुशील कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पंचायत समिति पीलीबंगा	सुशील श्रीमती सुशीला सचिव ग्राम पंचायत खोथावाली पंचायत समिति, पीलीबंगा